आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–70 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्रा0–लोगांई, पं0–पड़रिया, प्र0–राजमहल, जिला–साहेबगंज अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा पत्रांक–314 दिनांक–09.04.2024 के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के साथ शिकायतकर्ता का एक आवेदन भी संलग्न कर भेजा गया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बकाया अनाज मिलने और इस वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया है। आयोग की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज श्री जे0 के0 मिश्रा व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर भी उपायुक्त द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि कर रहें हैं। ऐसे में आयोग उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं शिकायतकर्ता के आग्रह के आलोक में इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	